

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली
बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री छोटूलाल पिता रामेश्वरलाल स्वर्णकार निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता भोलीया गाडरी निवासी सनवाड तह. मावली।
2. श्रीमती राधीबाई बेवा भोलीया गाडरी निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्रीमती अणछाई पुत्री भोलीया पत्नी वरदा गाडरी निवासी सनवाड हाल जोईडा बावजी तह. भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 42 / 20 (वाद)

जीसीएमएस नम्बर : 2020 / 00079

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 1038 पर दर्ज आराजीयात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1.	अणछाई पुत्री भोलीया हिस्सा 1/3 जाति गाडरी सा. देह खातेदार, मोहनलाल पुत्र भोलीया हिस्सा 1/3 जाति गाडरी सा.देह खातेदार, राधीबाई पत्नी भोलीया हिस्सा 1/3 जाति गाडरी सा. देह खातेदार	768 / 1	0.1618	बंजड़	0.1618
	योग :-	किता-1	0.1618	-	0.1618
2.	छोटुलाल पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा पूर्ण जाति स्वर्णकार, सा.फतहनगर खातेदार,	768 / 2	0.1619	बंजड़	0.1619
	योग :-	किता-1	0.1619	-	0.1619

नोट:-उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे ।

बसब्त मैरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **17.06.2025** को जारी की गई ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (FT) मावली
जिला उदयपुर

